



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 291) पटना, शुक्रवार, 9 अप्रील 2021

IE 08@vkjki&01&07@2018&1470@lk0i0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
3 फरवरी 2021

श्री विजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-434/11, तत्कालीन नगर आयुक्त, गया नगर निगम, गया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध हाईड्रोलिक टेलर, रिक्शा ठेला, डी सिल्टिंग मशीन, कॉम्पैक्टर, बायो टॉयलेट एवं ई टॉयलेट के क्रय में अनियमितता बरतने एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1762 दिनांक 19.05.2020 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

2- उक्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 6849 दिनांक 17.07.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री कुमार का स्पष्टीकरण दिनांक 20.10.2020 प्राप्त हुआ। जिसमें श्री कुमार द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी सामग्रियों का क्रय नगर निगम बोर्ड से पारित होकर क्रय समिति में लिये गये निर्णय के आलोक में किया गया है।

3- श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं त्रिस्तरीय जाँच दल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय जाँच दल द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध सामग्रियों/मशीनों के क्रय में भारी गड़बड़ी करने एवं निविदा में अनियमितता संबंधी आरोपो को प्रमाणित बताया गया है। अतएव श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपो की गम्भीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

4- अतएव श्री कुमार का स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए आरोपों की वृहद जाँच बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे।

5- श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

vkn'k& vkn'k fn;k tkrk g fd bl lldYi dh ifr fcgkj jkti= d vxy v l k/kkj.k vd
e i d k f ' k r f d ; k t k ; r F k k b l d h i f r l H k h l c f / k r d k H k t n h t k ; A

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ek0 fl j k t i l h u v l k j h
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 291-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>